आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0 के कार्यकलाप से सम्बन्धित सूचनाएं

01– संयुक्त प्रान्त में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धतियों के विकास की व्यवस्था करने तथा उनके व्यवसाय को विनियमित करने के लिए संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 (यू0पी0इण्डियन मेडिसिन एक्ट , 1939)बनाया गया । तथा एक्ट 1939 की धारा 5(1) के प्राविधानानुसार सर्वप्रथम बोर्ड का गठन वर्ष 1952 में किया गया ।

02– शासन द्वारा बोर्ड के गठन हेतु निर्गत अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2021 के अनुपालन में एक्ट 1939 की धारा 5 (1) के खण्ड (3), (4),(5) एवं (6) के अन्तर्गत निर्वाचित सदस्यों एवं खण्ड (1) के अन्तर्गत डा0 प्रकाश चन्द्र सक्सेना, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ को बोर्ड का कार्यवाहक अध्यक्ष के नाम उत्तर प्रदेश शासन, आयुष अनुभाग–1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 1518/ 96– आयुष–1–2022–383/97 दिनांक 29 अप्रैल, 2022 एवं अधिसूचना संख्या 1519/96– आयुष–1–2022–383/97 दिनांक 29 अप्रैल, 2022 द्वारा 22 सदस्यों के नाम अधिसूचित किये गये । उल्लेखनीय है कि एक्ट 1939 की धारा 5(1) के खण्ड (2) के अन्तर्गत पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे; अभी अधिसूचित नही किये गये हैं ।

03– वर्ष 1975 तक बोर्ड द्वारा प्रदेश के निजी आयुर्वेदिक /यूनानी कालेजों में बी0ए0एम0एस0 एवं बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम संचालित किया जाता रहा है तथा बोर्ड द्वारा ही उन्हें उपाधि भी प्रदान की जाती थी । वर्ष 1975 में यू0पी0इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 में संशोधन करते हुए बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0 पाठयक्रम के संचालन का अधिकार बोर्ड से हटा दिये गये एवं उसके स्थान पर अनुचिकित्सकीय पाठयक्रम यथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसिस्ट तथा उपचारिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने के अधिकार प्रदान किये गये ।

04– वर्तमान समय में एक्ट 1939 की धारा 36 के अधीन बोर्ड द्वारा अनुचिकित्सकीय यथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसिस्ट , उपचारिका एवं मिडवाइफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है । वर्तमान समय में बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 218 अनुचिकित्सीय प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है । मान्यता हेतु रू0 51000–00 प्रति पाठ्यक्रम पैनल शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित है तथा सम्बद्वता शुल्क प्रति पाठ्यक्रम रू0 25,000–00 निर्धारित है जो कि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाता है । उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सीटो की संख्या निम्नवत है –

आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण की सीटों की संख्या –	10060
आयुर्वेदिक उपचारिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कें सीटों की संख्या–	6710
यूनानी फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण की सीटों की संख्या –	290
यूनानी उपचारिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कें सीटों की संख्या –	300

05– बोर्ड द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 की द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनुसूची में मान्यता प्राप्त / भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 की

धारा 35 के अधीन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ परीक्षा निकायों/कालेजों से बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0 परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों का पंजीयन किया जाता है ।

06– बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अनुचिकित्सीय प्रशिक्षण केन्द्रों से आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मेसिस्ट एवं उपचारिका परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों का पंजीयन किया जाता है ।

07– शासनादेश संख्या 3334/96–आयुष–1–18 दिनांक 01 अगस्त 2018 के अनुपालन में बी0फार्मा/एम0फार्मा (आयुर्वेद) का पंजीयन किया जाता है ।

08– दिनांक 13–02–2023 तक पंजीकृत चिकित्सकों/फार्मेसिस्ट/उपचारिका/बी0फार्मा आयुर्वेद की संख्या निम्नवत है –

पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सकों की संख्या – 42759
पंजीकृत यूनानी चिकित्सकों की संख्या – 16453
पंजीकृत आयुर्वेदिक फार्मेसिस्टों की संख्या – 9589
पंजीकृत यूनानी फार्मेसिस्टों की संख्या – 1140
पंजीकृत आयुर्वेदिक उपचारिकाओं की संख्या– 2900
पंजीकृत यूनानी उपचारिकाओं की संख्या – 270
पंजीकृत बी0फार्मा आयुर्वेद की संख्या – 59

09– बोर्ड की वेवसाइट www.bimup.org पर दिनांक 23 अगस्त 2015 से आनलाइन पंजीयन आवेदन/ शुल्क लिया जाता है । बोर्ड से पंजीकृत चिकित्सकों की सूची बोर्ड की उक्त वेवसाइट पर प्रदर्शित है ।

10– बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद , स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कर्मचारी/रिक्त पदो की संख्या का विवरण निम्नवत है –

क्रम संख्या	पद नाम	स्वीकृति पदों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	रिक्त पदो की संख्या
01	रजिस्ट्रार	01	01 (अतिरिक्त कार्यभार)	....
02	कार्यालय अधीक्षक	01	01	....
03	आशुलिपिक हिन्दी	01	..	01
04	आशुलिपिक अग्रेजी	01	...	01
05	वरिष्ठ सहायक	03	03	....
06	कनिष्ठ सहायक	07	02	05
07	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	06	04	02